राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प.6(4)राज-6/2000/7 जयपुर, दिनांक: 8-5-2000

-अधिसूचना-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम-15, 1956) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1955) की धारा 53 की उप-धारा (2) एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि के बंटवारे की तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग नायब तहसीलदार द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 30.6.2000 तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
8/5/2000
(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प.6(4)राज-6/2000/8 जयपुर, दिनांक: 8-5-2000

-अधिसूचना-

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13 के उप नियम (4) के परन्तुक के अनुसरण में राज्य सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है एवं निर्देश देती है कि समस्त जिलों हेतु आवंटन प्रयोजन के लिये बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी, जिस पंचायत में आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि है।

यह अधिसूचना दिनांक 30.6.2000 तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
8/5/2000
(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

-----क्रमशः:----2---